रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012021-224364 CG-DL-E-13012021-224364

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] No. 19] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2021/पौष 23, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2021/PAUSHA 23, 1942

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2021

फा. सं. विनियम/स्टैंडर्डस्-केसरी दाल/एफ.एस.एस.ए.आई.-2020.—खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2020 के प्रारूप को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, की अधिसूचना फाइल सं .विनियम/स्टैंडर्डस्-केसरी दाल/एफ.एस.एस.ए.आई.-2020, तारीख 23 जुलाई, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गयी थी जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं, साठ दिनों की अविध की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 30 जुलाई 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया था;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और

175 GI/2021 (1)

मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

विनियम

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) प्रथम संशोधन विनियम, 2021 है।
 - (2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 के कितपय संघटकों के उपयोग पर निर्बंधन से संबन्धित विनियम 2.2 के उप-विनियम 2.2.1 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "2.2.2 उप-विनियम 2.2.1 में विहित शर्तों के होते भी चना/दालों में सांयोगिक रूप से उपस्थित केसरी दाल की अधिकतम अनुमत सीमा अन्य खाद्यान्नों सहित 2% से अधिक न हो।".

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन ।।।/4/असा./455/2020-21]

टिप्पण: राजपत्र के भारत विनियम मूल, असाधारण में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचना संख्याकों द्वारा संशोधित किए गए:–

- i. फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 8 फरवरी, 2013;
- ii. फा. सं. स्टैंडर्डस्/ओ एंड एफ/अधिसूचना(2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;
- iii. फा. सं. स्टैंडर्डस्/एफ एंड वीपी/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;
- iv. फा. सं. स्टैंडर्डस्/ओ एंड एफ/अधिसूचना(8)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018;
- v. फा. सं. स्टैंडर्डस्/सहयोज्य-2/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018, तारीख 25 जून, 2019;
- vi. फा. सं. स्टैंडर्डस्/साल्ट/विविध/01/एफएसएसएआई-2016(भाग-1), तारीख 25 जून, 2019;
- vii. फा. सं. स्टैंडर्डस्/सहयोज्य-3/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018, तारीख 21 जुलाई, 2020;
- viii. फा. सं. मानक/एगमार्क-बीआईएस/02/एफएसएसएआई-2018, तारीख 20 अक्टूबर, 2020 और
- ix. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एण्ड एफ/अधिसूचना(12)/एफएसएसआई-2019, तारीख 26 अक्टूबर, 2020.

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2021

F.No.Reg/Stds-Khesari dal/FSSAI-2020.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Amendment Regulations, 2020, were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, Food Safety and Standards Authority of India, vide number F.No.Reg/Stds-Khesari dal/FSSAI-2020, dated the 23rd July, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 30th July, 2020;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standard Act, 2006, the Food Safety and Standards Authority of India with the previous approval of the

Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011, namely:—

Regulations

- 1. **Short title and commencement.-**(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) First Amendment Regulations, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011, in regulation 2.2 relating to restriction on use of certain ingredient, after sub-regulation 2.2.1, following shall be inserted, namely:—
 - "2.2.2 Notwithstanding the condition at 2.2.1 the maximum allowed limits for any incidentally occurring *Khesari dal* in grams /pulses shall be not more than 2% including other edible grains."

ARUN SINGHAL, Chief Exec. Officer [ADVT. III/ 4/Exty./455/2020-21]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

- i. F. No. 4/15015/30/2011, dated the 8th February, 2013;
- ii. F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
- iii. F. No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
- iv. F. No. Stds/O&F/Notification (8)/FSSAI-2017, dated the 31st July, 2018;
- v. F. No. Stds/Additives-2/Notification/FSSAI/2018, dated the 25 June, 2019;
- vi. F. No. Stds/Salt/Misc/01/FSSAI-2016 (pt-1), dated the 25 June, 2019;
- vii. F. No. Stds/Additive-3/notification/FSSAI/2018, dated 21st July, 2020;
- viii. F.No. Stds/Agmark-BIS/02/FSSAI-2018, dated 20th October, 2020 and
- ix. F.No. Stds/O&F/Notification(12)/FSSAI-2019, dated 26th October, 2020.